DEPARTMENT OF SPORTS
HARYANA
Nursery Management System

Nursery Registration Guidelines

Guidelines

Click here to view and download detailed guidelines published by Department of Sports

1. खेल नर्सरी आवेदक स्कूल/संस्थानों के लिए आवश्यक पात्रता मानदण्ड:

a) खेल नर्सरी हेतु कोई भी सरकारी निजि शिक्षण संस्थान तथा पंजीकृत निजि खेल संस्थान (निजि खेल अकादमी, निजि खेल प्रशिक्षण केन्द्र आदि) तथा ग्राम पंचायत आवेदन कर सकते है।

b) खेल नर्सरियां केवल उन्हीं खेलों में खोली जाएंगी जो खेल ऑलम्पिक, एशियन तथा कॉमन वेल्थ गेम्स में सम्मिलित है।

c) आवेदक स्कूल/संस्थान के पास खेल विशेष का आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर होना अनिवार्य है।

d) आवेदक स्कूल/संस्थान के पास खेल विशेष के उपकरण होना अनिवार्य है।

e) आवेदक संस्थान के पास खेल विशेष का योग्य प्रशिक्षक होना अनिवार्य है। खेल नर्सरी में प्रशिक्षक की नियुक्ति खेल नर्सरी हिदायतुनसार संबंधित स्कूल/संस्थान द्वारा की जाएगी।

f) खेल नर्सरी आवेदक संस्थान नर्सरी के खिलाडियों की आधार बेसड बायोमेट्रिक हाजरी लागू करने के लिए स्वयं के खर्च पर बायोमेट्रिक डिवाईस की खरीद सुनिश्चित करेगा। बायोमेट्रिक डिवाई की स्पेसिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें Click here

खेल नर्सरी संचालन के संबंध में स्कूल/संस्थान के उतरदायित्व:

a) खेल नर्सरी आबंटित संस्थान नर्सरी के खिलाडियों की आधार बेस्ड बायोमेट्रिक हाजरी लागू करने के लिए निम्नानुसार हिदायतों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे:-

i) खेल नर्सरी आबंटित संस्थान नर्सरी के खिलाडियों की आधार बेस्ड बायोमेट्रिक हाजरी लागू करने के लिए स्वयं के खर्च पर बायोमेट्रिक डिवाईस की खरीद करना सुनिश्चित करेंगें।

ii) UIDAI से प्रमाणित आधार बेसड बायोमेट्रिक डिवाईस की सूची तथा स्पेसिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करे, Click here.

iii) सभी खेल नर्सरी संस्थानों को Attendance app (Android) विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

iv Attendance app & Biometric Device द्वारा ही नर्सरी प्रशिक्षको तथा खिलाडियो की हाजरी ली जाएगी तथा बायोमेट्रिक हाजरी के आधार पर नर्सरी प्रशिक्षकों का मानदेय तथा खिलाडियों की छात्रवृति जारी की जाएगी।

v) Attendance app के द्वारा Attendance केवल निर्धारित नर्सरी लोकेषन की परिधि में ही लगाई जा सकेंगी।

vi) Birometric Scanner device की खरीद करने उपरांत उसका Enrollment करवाना आवश्यक है। Enrollment करवाने उपरांत नर्सरी मेनेजमेंट पोर्टल पर आवश्यक दिशा-निर्देशों की अनुपालना करें।

b) खेल नर्सरी आबंटित स्कूल/संस्थान खेल नर्सरी के किसी भी खिलाड़ी से फिस नहीं लेगा, यदि संबंधित संस्थान ऐसा करता पाया जाता है तो संबंधित संस्थान की खेल नर्सरी बंद कर दी जाएगी तथा विभाग द्वारा उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

c) संबंधित संस्थान द्वारा नर्सरी के खिलाड़ियों को दी जाने वाली फिस में रियायतों व सुविधाओं की सूचना डिस्पले की जानी आवश्यक है।

d) खेल नर्सरी में खिलाड़ियों का चयन ऑपन ट्रायल के आधार पर निष्पक्ष किया जाएगा।

e) प्रधानाचार्य/संस्थान के मुखिया द्वारा खेल नर्सरी के बच्चों एवं प्रशिक्षक की हाजिरी के लिए हाजिरी रजिस्टर मेनटेन किया जाएगा जिसमें सभी बच्चों व प्रशिक्षक का फोटोग्राफ लगाया जाएगा तथा फोटोग्राफ की एक प्रति जिला खेल अधिकारी को भेजी जाएगी।

f) स्कूल/संस्थान द्वारा नियमित रूप से खिलाड़ियों और प्रशिक्षक की हाजरी लगाई जाएगी तथा प्रशिक्षक के आवकाश लेने पर इसकी सूचना संबंधित जिला खेल अधिकारी को दी जाएगी।

g) स्कूल/संस्थान द्वारा नर्सरी में चयनित खिलाड़ियों को स्पोर्टस किट प्रदान किए जाएंगे।

h) प्रशिक्षक खेल नर्सरी के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए शैड्यूल निर्धारित करेगा जिसकी एक प्रति प्रशिक्षक हाजिरी रजिस्टर के साथ रखेगा ताकि निरीक्षण अधिकारी द्वारा उसी अनुसार निरीक्षण किया जा सके तथा शैड्यूल की एक प्रति प्रधानाचार्य/संस्थान के मुखिया के माध्यम से जिला खेल अधिकारी को भेजेगा।

i) प्रधानाचार्य/संस्थान का मुखिया यह सुनिश्चित करेगा कि स्कूल के द्वारा जिस प्रशिक्षक का प्रबंध किया गया है केवल वही प्रशिक्षक खिलाड़ियों को सुबह व सायं निर्धारित समय में प्रशिक्षण देगा।

खेल नर्सरी संचालन के संबंध में अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश:

a) प्रत्येक खेल नर्सरी का कार्यकाल 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी तक रहेगा।

b) खेल नर्सरी आबंटित संस्थान जिला खेल अधिकारी की निगरानी में खेल नर्सरी में 8 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों के चयन हेतु खेल और शारीरिक योग्यता परीक्षा/खेल परीक्षा आयोजित करेगा।

c) प्रत्येक नर्सरी में न्यूनतम 20 तथा अधिकतम 25 खिलाड़ी होंगें, साथ ही प्रतीक्षा सूचि में 10 खिलाड़ी रखे जाएंगें। यदि कोई खिलाड़ी किसी कारणवश किसी भी समय खेल नर्सरी छोड़ता है तो परिणामी रिक्ति को वरिष्ठता क्रम के आधार पर प्रतिक्षा सूची से भरा जाएगा। यदि खेल नर्सरी में किसी भी समय खिलाड़ियों की संख्या 20 से कम हो जाती है तो नर्सरी को बंद कर दिया जाएगा।

d) प्रत्येक खिलाड़ी के प्रतिमाह कम से कम 22 दिन हाजिर होने पर 8 से 14 वर्ष आयु वर्ग हेतु 1,500/- रुपए तथा 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को 2,000/- रूपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

e) चयनित संस्थानों को खेल नर्सरी हेतू एक प्रशिक्षक का मासिक मानदेय (शैक्षणिक योग्तया अनुसार 20,000/- रूपये अथवा 25,000/-रूपये प्रति माह) की दर से दिया जाएगा।

f) प्रशिक्षक खेल नर्सरी के खिलाड़ियों को प्रातः व सायं शैड्यूल में निर्दिष्ट समय अनुसार प्रशिक्षण देगा। प्रातःकालीन सैशन कम से कम 2 घण्टे (05:30 से 09:00 बजे के बीच) तथा सायंकालीन सैशन कम से कम 3 घण्टे (03:00 से 08:00 बजे के बीच) का होगा। जिसकी एक प्रति संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य/मुखिया द्वारा जिला खेल अधिकारी को भेजी जाएगी।

g) खेल विभाग को खेल नर्सरी संचालन के दिशा-निर्देशों की उल्लंघना के मामले में छात्रवृति और प्रशिक्षकों का मानदेय वापिस लेने का अधिकार होगा।

h) संस्थान द्वारा खेल नर्सरी के दिशा-निर्देश/शर्तों की कोई भी उल्लघंना करने पर उसे कोई वितीय सुविधा नहीं दी जाएगी तथा नर्सरी को तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा। खेल नर्सरी को चलाने में शर्तों की उल्लंघना व किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संस्थान का मुखिया स्वयं जिम्मेदार होगा।

i) खेल नर्सरी योजना का उद्धेश्य संस्थानों में खेलों के बुनियादी ढ़ाचे/सुविधाओं का उपयोग करके जमीनी स्तर पर खेलों को लोकप्रिय बनाना है। विभाग में बजट की उपलब्धता के आधार पर ही इसे लागू किया जाएगा। यह किसी भी संस्था या खिलाड़ी पर किसी भी प्रकार के अधिकार की पुष्टि नहीं करता।

j) गत सत्र 2024-25 में ग्रेड डी प्राप्त करने वाले सरकारी/निजी शिक्षण संस्थानों तथा निजी खेल संस्थानों एवं पंचायतों को 2025-26 सत्र में नर्सरी की सुविधा प्रदान नही की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए विभागीय खेल नर्सरी दिशा निर्देशों का अध्ययन करे

☐ I accept and agree to abide by the terms and conditions of the above policy.

Next